आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/68/2019/एफ.सी./1096 दिनांक 28.08.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मड़मानले–दोबास मोटर मार्ग से धौलकाण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7 है0 वन भूमि के बदले 4.54 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मड़मानले–दोबास मोटर मार्ग से धौलकाण्डा मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 2.7 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम धौलकांडा पट्टी बन्दा तहसील पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–102 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 8523 मध्ये रकवा 4.54 है0, सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अप्रैल 19 , 2021

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1364 /सात– 10 /2020–21 दिनांक अप्रैल 19 , 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
4. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई खण्ड, लो.नि.वि. पिपिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।